भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 233*

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: सिंचाई के लिए सौर प्रणाली हेतु राजसहायता

233. श्री भगीरथ चौधरीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों को सिंचाई के प्रयोजन के लिए सौर प्रणाली पर राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान किसानों को सिंचाई प्रयोजन के लिए सौर प्रणाली पर राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई दिशानिर्देश तय किया है तथा कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'सिंचाई के लिए सौर प्रणाली हेतु राजसहायता' के संबंध में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 233 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) एवं (ड.): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने देश में किसानों की सहायता करने के लिए सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु दिनांक 08.03.2019 को एक स्कीम शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सेवा शुल्क सहित 34,422 करोड़ रूपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता से 25750 मेगावाट सौर एवं अन्य नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाना है।

इस स्कीम के निम्नलिखित घटक सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई से संबंधित हैं।

(i) किसानों के स्वामित्व वाली 8250 मेगावाट की कुल क्षमता के 17.50 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना।

(ii) किसानों के स्वामित्व वाली 7500 मेगावाट की कुल क्षमता के 10 लाख ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरकरण।

इस स्कीम के तहत, स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप अथवा ग्रिड से जुड़े मौजूदा कृषि पंपों के सौरकरण की लागत की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, इनमें से जो भी कम हो, के लिए 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। राज्य सरकार 30% की राजसहायता देती है और शेष 40% अंशदान का भुगतान किसान द्वारा किया जाता है। किसानों के अंशदान के लिए बैंक द्वारा वित्त भी उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि किसान को शुरूआत में लागत का केवल 10% का ही भुगतान करना पड़ेगा और लागत का शेष 30% ऋण के रूप में भुगतान करना पड़ेगा।

योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

(घ): पूर्व में, ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) अनुप्रयोग योजना के चरण-II के तहत, एमएनआरई ने वर्ष 2017-18 से 2018-19 की अवधि के दौरान 96,376 स्टैंडअलोन सौर पंपों को मंजूरी दी है। राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों में मंजूर किए गए पंपों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. 233

अनुबंध

वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत पंपों का राज्यवार विवरण

राज्य	**स्वीकृत स्टैंड-अलोन सौर पंप**
आंध्र प्रदेश	15000
बिहार	3300
छत्तीसगढ़	15000
गुजरात	5000
झारखंड	2000
कर्नाटक	1500
मध्य प्रदेश	14000
महाराष्ट्र	8000
ओडिशा	1500
पंजाब	2556
राजस्थान	**7500**
तमिलनाडु	1000
उत्तर प्रदेश	20000
अंडमान एवं निकोबार	20
कुल	96376

*****